

**Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for
Bharat Net Phase - II Surguja Division. Area - 8.903 ha.**

वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव बावत्।

चेक लिस्ट क्रमांक - 11

प्रपत्र-3

**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/OFC/42621/2019

1	परियोजना का नाम	परियोजना		
2	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर छ.ग.		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	भारत नेट परियोजना अंतर्गत आस्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु।		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमण्डल	परिक्षेत्र
		सरगुजा	सरगुजा	अम्बिकापुर, सीतापुर, लुण्ड्रा, लखनपुर एवं मैनपाट
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण			
	क. सीमांकित आरक्षित वन	0.290 हे. (विस्तृत जानकारी संलग्न है)		
	ख. सीमांकित संरक्षित वन	7.677 हे. (विस्तृत जानकारी संलग्न है)		
	ग. असीमांकित संरक्षित वन	निरंक		
	घ. राजस्व वनभूमि	0.936 हे. (विस्तृत जानकारी संलग्न है)		
	योग :-	8.903 हे.		
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	साल एवं मिश्रित वन, साईट क्वालिटी-III घनत्व- 0.4		
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	आवेदित क्षेत्र में किसी भी प्रजाति का कोई भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा है।		
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	साल का अच्छा पुनरुत्पादन है।		
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	आवेदित क्षेत्र पी.डब्ल्यू.डी./मुख्य मार्ग के समान्तर स्थित है। सर्वे ऑफ इंडिया पार्ट-1 टोपोशीट क्रमांक 64I16, 64M04 एवं 64N01 संलग्न है। पार्ट-2 टोपोशीट क्रमांक 64M08, 64M07, 64M12, 64N05 एवं 64N09 संलग्न है। पार्ट-3 टोपोशीट क्रमांक 64N01, 64N05 एवं 64N06 संलग्न है।		
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensetive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं।		
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र	नहीं।		

	का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गये भौतिक निरीक्षण दिनांक 01/07/2020 के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन आर्टिकल फाईवर केवल विछाने हेतु आवेदक संस्थान टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, रायपुर को वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल – अम्बिकापुर, लखनपुर, लुण्ड्रा, सीतापुर एवं मैनपाट परिक्षेत्र ।
दिनांक – 01/07/2020


(एस.एन.मिश्रा)
संयुक्त वनमण्डलाधिकारी,
उदयपुर


(एस.बी. पाण्डेय)
संयुक्त वनमण्डलाधिकारी,
सीतापुर


(विजेन्द्र सिंह ठाकुर)
उप वनमण्डलाधिकारी,
अम्बिकापुर


(पंकज कुमार कमल)
"भा.व.से."
वनमण्डलाधिकारी,
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर
पंकज कुमार कमल
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल
अम्बिकापुर (छ.ग.)